Fourteenth Loksabha

Session : 10
Date : 12-03-2007

Participants : Jha Shri Raghunath

Title: Need for construction of ROBs under NHAI in Bihar -Laid.

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): महोदय, मैं नियम 377 के अधीन आपके माध्यम से माननीय मंत्री राजमार्ग विभाग भारत सरकार का ध्यान बिहार राज्य के निम्नलिखित स्वीकृत सड़क, ऊपरी पुलों, आर.ओ.बी. जिसको राट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाया जा रहा है की ओर ध्यान आकृट कराना चाहता हूं।

11 (4 (सोनपुर-परमानंदपुर), 11 (एसीतलपुर-नया गांव), 16 (दिघवारा-बडागोपाल), 54ए (हाजीपुर-विदुपुर), 33 (आदापुर-रक्सौल), 34 (रक्सौल-भेलवा), 32 (काकर घाटी-तरससय), 175 (सेमरा-सुगौली), 47 (हाजीपुर-सराय), 10ए (सासामुसा-जलालपुर), एवं 47 (छपरा-कचहरी)

उपरोक्त सभी 11 रेल पुलों का निर्माण रेलवे से नहीं होकर राट्रीय राजमार्ग प्रधिकरण द्वारा एन.एय.ई.डी.पी प्रोग्राम के तहत होना है। इन सभी पुलों का नक्शा और स्टीमेंअ भी उन्हीं को बनाना है। यह कार्य प्राधिकरण को सौंपा गया परन्तु अभी तक इस दिशा में कोई भी कार्य आरंभ नहीं हुआ।

ज्ञातव्य रहे कि माननीय रेल मंत्री द्वारा 33 (आदापुर-रक्सौल), 34 (रक्सौल-भेलवा), 175 सेमरा-सुगौली का शिलान्यास दो वर्ा पूर्व सम्पन्न किया गया।

अतः माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त पुलों का निर्माण हेतु शीघ्र आवश्यक कदम उठाने का कट करें।